न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 07/2018
GCMS No. : 2018/00002

–:: प्रार्थी ::–

1. उदाराम पुत्र भगा के कायम मुकाम
   1/1 चन्द्राराम पुत्र उदाराम
   1/2 बलदेवराम पुत्र उदाराम
   1/3 नारायण पुत्र उदाराम
   जातियान– गुर्जर, निवासी– ग्राम– पाटण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. उदाराम पुत्र मगाराम जाति– गुर्जर, निवासी– ढ़ाणी प्रतापगढ़ (पाटण), तहसील– जैतारण, जिला– पाली।
2. अमराराम पुत्र हापुराम जाति– गुर्जर, निवासी– ढ़ाणी प्रतापगढ़ (पाटण), तहसील– जैतारण, जिला– पाली।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय एवं उप पंजीयन अधिकारी जैतारण, जैतारण जिला–पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा **अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

उपस्थितः– 1.श्री भाखरसिंह भाटी, अधिवक्ता, प्रार्थी। **तारीख रजूः 09/01/2018**
2. श्री महेन्द्र प्रजापत जैतारण, अधिवक्ता, अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः 28/10/2020

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि ग्राम पाटण पटवार हल्का रास– 2 तहसील जैतारण, जिला पाली राजस्थान में खसरा नम्बर 2824/2 रकबा 02–00 बीघा किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि स्थित है। जिसे आगे प्रार्थना–पत्र में विवादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। जिसकी वर्तमान जमाबंदी की फोटो प्रति प्रार्थना–पत्र के साथ पेश है। प्रार्थना–पत्र के पद संख्या एक में वर्णित खसरा नम्बर की कृषि भूमि सायलान के पिता उदा पुत्र श्री भगा की रिकॉर्डेड कब्जे काश्त की कृषि भूमि है। जो सायलान के पिता के नाम से खसरा परिवर्तनशील से लेकर सायलान के पिता की मृत्यु दिनांक 23.11.1995 तक उसके बाद सायलान उक्त कृषि भूमि पर बेरोकटोक काबिज खातेदार काश्तकार के रूप में चले आ रहे है। खसरा परिवर्तनशील संवत् 2029 की फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित खसरा नम्बर की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड की जमाबन्दी खतौनी संवत् 2057 से 2060 की खतौनी के दौरान हल्का पटवारी की लिपिकीय त्रुटि व भूल के कारण जमाबन्दी सम्वत् 2057 से 2060 में सायलान के पिता उदा पुत्र भगा के स्थान पर उदा पुत्र मगा दर्ज कर दिया। जिससे उक्त खसरा [illegible] की भूमि [illegible] रेकर्ड अशुद्ध व गलत हो गया। जो सम्वत् 2057 से लेकर आज दिन तक [illegible] रहा है। इसकी जानकारी सायलान को तब हुई जब सायलान अपने [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.11.12 12:12:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी

पश्चात उक्त भूमि का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज करवाने हेतु संबधित हल्का पटवारी के पास गये तब सायलान ने उक्त खसरा नम्बर की भूमि का राजस्व रेकार्ड की नकलें निकलवाई तब राजस्व रेकर्ड में हुई अशुद्ध प्रविष्टि के अंकन की जानकारी हुई। जमाबंदी संवत् 2036 से 2039, संवत् 2049 से 2052, संवत् 2053 से 2056, संवत् 2057 से 2060 की फोटो प्रतियां प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। जिससे उक्त भूमि सायलान की पुश्तैनी भूमि व रेकर्डेड कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि होना प्रामणित एवं साबित है। सायलान के उक्त खसरा नम्बर की भूमि के राजस्व रेकर्ड में संवत् 2057 से 2060 की जमाबन्दी खतौनी के दौरान हुई अशुद्ध प्रविष्टि के अंकन को दुरूस्त करवाने हेतु एक राजस्व वाद संख्या 46/16 घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का माननीय सहायक कलक्टर जैतारण के न्यायालय में पेश किया जिसकी डिक्री दिनांक 05.10.2017 को जारी की गई है। जिसकी पालना हेतु तहसीलदार जैतारण को तहरीर भी जारी की गई है। राजस्व न्यायालय द्वारा जारी रेकर्ड दुरूस्ती व घोषणा बाबत् डिक्री की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक में वर्णित भूमि अम्बुजा सीमेन्ट फैक्ट्री की माईन्स ऐरिया की परिधि में स्थित होने व भूमि के राजस्व रेकर्ड में सायलान के पिता की वल्दीयत व निवास स्थान से गलत दर्ज होने से गैरसायलान संख्या एक का नाम पता राजस्व रेकर्ड से मिलान खाने के कारण उक्त भूमि से नाजायज बेजा फायद उठाने की नियत से गैरसायलान संख्या दो को दिनांक 17.07.2017 को जरिये पंजीबद्ध बेचान के बेचान कर दिया जबकि गैरसायलान संख्या दो को भी यह भलीभाँति जानकारी थी कि उक्त भूमि सायलान की कब्जा काश्त की खातेदारी कृषि भूमि है। लेकिन गैरसायलान संख्या एक व दो ने जान बूझकर उक्त भूमि को अम्बुजा सीमेन्ट फैक्ट्री उक्त भूमि को अम्बुजा सीमेन्ट को मोटी कीमत में बेचान करने की नियत से दिनांक 17.07.2017 को एक फर्जी व कुटरचित तरीके से एक फर्जी व कूटरचित दस्तावेज गैरसायलान संख्या तीन के यहां तहरीर व तकमिल करवा लिया और राजस्व रेकर्ड में नामान्तरण संख्या 301 का इन्द्राज करवा दिया है। लेकिन तथ्यों को छूपाते हुए छल कपट से उक्त भूमि का पंजीबद्ध बेचान होने व उसका नामान्तरकरण दर्ज हो जाने मात्र से गैरसायलान का उक्त भूमि पर किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं हो सकता है। सिं रदद् घोषित करवाने का सायलान को विधिक रूप से अधिकार है। जिसकी फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थन पत्र के पद संख्या एक मे वर्णित खसरा नम्बर 2824/2 रकबा 2 बीघा की कृषि भूमि पर गैरसायलान संख्या एक का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार व कब्जा काश्त नहीं होते हुए भी एवं सायलान के पिता के वल्दीयत के गलत इन्दाज होनें व सायलान के पिता का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त होने का इल्म एवं जानकारी होने के उपरान्त भी राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाकर गैरसायलान संख्या एक का नाम पता मिलान हो जाने मात्र से अपनी भूमि होना बताकर व उक्त भूमि का खातेदार व मालिकाना हक बताकर उक्त कृषि भूमि को एक लिखित पंजीबद्ध बेचान दिनांक 17.07.2017 को गैरसायलान संख्या को बेएवजाने रूपये 80,000/- अक्षरे अस्सी हजार रूपये रोकड़ प्राप्त करना बताकर एक फर्जी व कूटरचित लिखित पंजीबद्ध बेचान दिनांक 17.07.2017 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 290 पृष्ठ संख्या 76 क्रम संख्या 2017002465 पर गैरसायलान संख्या दो के पक्ष में तहरीर व तकमिल कर उप पंजीयन अधिकारी जैतारण के यहां पंजीयन करवाया उक्त फर्जी व कूटरचित लिखित पंजीबद्ध बेचान दिनांक 17.07.2017 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावें। उक्त लिखित पंजीबद्ध बेचान से गैरसायलान [illegible] वादित कृषि भूमि में कानूनी हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है तथा सायलान के [illegible] के विरूद्ध निष्प्रभावी होने से काबिल खारिज के है। प्रार्थना पत्र के प[illegible]

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishn
Date: 2020.11.12 12:12:56 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर की भूमि में गैरसायलान संख्या एक का कोई हिस्सा, अधिकार व कब्जा काश्ता विवादित भूमि में नहीं रहा है। फिर भी गेरसायलान संख्या एक ने उक्त भूमि को अपनी भूमि होना बताकर गैरसायलान संख्या दो के पक्ष में किया गया लिखित पंजीबद्ध बेचान दिनांक 17.07.2017 अवैध व गैर कानूनी है। उक्त बेचान आउट स्टेण्डिग रहने पर सायलान के हितो पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसलिए गैरसायलान संख्या एक द्वारा गैरसायलान संख्या दो के पक्ष में किया गया लिखित पंजीबद्ध बेचान दिनांक 17.07.2017 को व नामान्तरण संख्या 301 को रदद् घोषित करवाने का सायलान को कानूनी अधिकार है। इसलिए दाव घोषणा बेचान दिनांक 17.07.2017 खिलाफ गैरसायलान के पेश है। सायलान के कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलान्दाजी करने का गैरसायलान को कोई कानूनी अधिकार नहीं है व गैरसायलान द्वारा फर्जी व कूटरचित दस्तावेज के आधार पर विवादित भूमि से सायलान को बेदखल कर कब्जा करने की कोशिश की तो मौके पर टण्टा फसाद होगा तथा विविध मुकदमें बाजी होगी सायलान को गैरसायलान के विरूद्ध बार बार दिवान व फौजदारी मुकदमें करनें होगें जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग होगी व सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नही है। जिसका मूल्यांकन रूपयों में नहीं आकां जा सकता है। इसलिए सायलान गैरसायलान के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए दावा अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान के पेश है।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 01 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। अप्रार्थी दो व तीन बावजूद नोटिस सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या एक को जवाब प्रार्थना-पत्र पेश करने के अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से जवाब प्रार्थना-पत्र बंद किया गया।

बहस वकुलाय की राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें पत्रावली का अवलोकन किया और उसपरउपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण का बिंदूवार विवेचन निम्नानुसार है :-

(01) प्रथम-दृष्ट्या मामला : प्रार्थी/वादी का वादग्रस्त आराजी के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं अभिलेख शुद्धि का दावा न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2029, ग्राम- रास के खसरा संख्या 2824 में बतौर कृषक उदा पुत्र भगा दर्ज है। जमाबंदी संवत 2036-2039, संवत 2049-2052, 2053-2056, ग्राम- रास, के खसरा संख्या 2824 में उदा पुत्र भगा कौम गुर्जर बतौतर खातेदार दर्ज है, परंतु जमाबंदी संवत 2057-2060 में उदा के पिता का नाम मगा दर्ज कर दिया गया, जिसका कोई कारण या आधार दर्शित नहीं किया गया है। पंजीकृत विक्रय-विलेख दिनांक 17.07.20017 के द्वारा उदा पुत्र मंगा की और से वादग्रस्त आराजी का अमराराम पुत्र हापूराम के पक्ष में बैचान कर दिया जाता है, जिसके आधार पर नामांतरण संख्या 30105.09.2017 द्वारा क्रेता के पक्ष में नामांतरण स्वीकृत कर गया है। प्रार्थी का कथन यह है कि भू-अभिलेख में वादी के पिता का नाम जो आरंभ से भगा चला आ रहा था का संवत 2057-2060 की जमाबंदी में बिना किसी आधार के मगा दर्ज होनें के आधारा पर वादग्रस्त आराजी का बैचान भी चुका है। इस प्रकार उपलब्ध दस्तावेजात से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार के पिता के नाम में जमाबंदी [illegible] तथा अधिकार अभिलेख में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि का दुरुपयोग किए जानें से इंकार [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishn
Date: 2020.11.12 12:12:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सकता है, लिहाजा हस्तगत प्रकरण में प्रथम-दृष्ट्या मामला वादी/प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

(02) अपूर्णनीय क्षति :- पूर्व विवेचित बिन्दु संख्या 01 के विवेचन ये यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में अधिकार अभिलेख में खातेदार के पिता के नाम की त्रुटि दर्ज है तथा ऐसी त्रुटि के आधार पर बैचान भी हो चुका है एवं निषेधाज्ञा जारी नहीं होनें की दशा में और हस्तांतरण होनें से इंकार नहीं किया है तथा यदि ऐसा होगा को वादी को ही असीम क्षति होगी, साथ ही प्रकरण में अनावश्यक जटिलता भी बढ़ेगी। अतः यह बिन्दु भी वादी के पक्ष में साबित होता है।

(03) सुविधा का संतुलन :- चुंकि बिन्दु संख्या एक एवं दो वादी के पक्ष में साबित हो चुके हैं, साथ ही वादी ने शपथ-पत्र पर वादग्रस्त आराजी स्वयं कब्जे-काश्त में होना प्रकट किया है। साथ ही आक्षेपित जमाबंदी की प्रविष्टि से पूर्व की जमाबंदीयों में खातेदार के पिता का नाम भगा चला आ रहा है, अतः अभिलेख में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि से सुविधा का संतुलन विचलित नहीं हो सकता। अतः यह बिन्दु भी वादी के पक्ष में साबित होती है।

अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी/वादी का प्रार्थना-पत्र सारवान होनें से स्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित है।

-:: *आदेश* ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा, 212 राजस्थाना काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम- पाटण, पटवार हल्का- रास-2, तहसील- जैतारण, जिला पाली की खसरा संख्या 2824/2 रकबा 02-00 बीघा किस्म- बारानी दोयम की ताफैसला वाद वर्तमान मौका एवं अभिलेख स्थिति में परिवर्तन न करें, रहन, बैचान व अन्य किसी भी तरीके से हस्तांतरित नहीं करें उप पंजीयक हस्तांतरण से संबंधित विलेख पंजीबद्ध न ही करें। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 28/10/2020 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bi
Date: 2020.11.12 12:12:56 IST
Reason: SelfAttested